[2020] 2 एस. सी. आर. 763

ए.

SAKKUBAI ETC। ईटीसी।

बनाम

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. ईटीसी। ईटीसी। (2020 की सिविल अपील संख्या 1443-1456) 11 फरवरी, 2020

बी.

[मोहन एम**.** शांतनागौदर और आर**.** सुभाष रेड्डी**,** जे**.** जे**.]**

मैसूर प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1961-एस. एस.19(1) & 19(3) – 1988 विरूपपुरा गद्दी को 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित करने वाली अधिसूचना।19(3) अधिनियम, 1961 की वैधता -भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए. एस. आई.) ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर आपत्तियों के अपने बयान में विरूपपुरा गद्दी के पुरातात्विक महत्व पर प्रकाश डाला था-भारत में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार एक विशेष निकाय ए. एस. आई. द्वारा की गई टिप्पणियों से, विरूपपुरा गद्दी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में कोई संदेह नहीं है-सरकार ने क्षेत्र की व्यापक भौगोलिक इकाई पर विचार किया था, जिसमें इसके परिदृश्य, प्रागैतिहासिक अवशेष और जल प्रणाली जैसी विशेषताएं शामिल हैं-इस प्रकार, 1988 की अधिसूचना यू/एस.19(3) विरूपपुरा गद्दी को 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित करने वाले 1961 के अधिनियम को आधारहीन नहीं कहा जा सकता है-इसके अलावा,1961 के अधिनियम की धारा 19 (4) स्पष्ट करती है कि अधिसूचना यू/एस द्वारा जारी की गई है।19(3) उक्त अधिनियम के तहत एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में विरूपपुरा गद्दी की स्थिति को निर्णायक रूप से स्थापित करता है। मैसूर प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1961 धारा 20 (1)-1961 के अधिनियम के तहत अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए निर्माण की वैधता-आयोजितः विरूपपुरा गद्दी वाला पूरा क्षेत्र, जहां अपीलार्थियों द्वारा निर्माण किए गए थे, 1988 की अधिसूचना के अनुसार संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, यह इस प्रकार है कि अपीलार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि का उपयोग ऐसी अधिसूचना जारी होने के बाद ही खेती के उद्देश्य से किया जा सकता था-हालाँकि, अपीलार्थियों ने होटल, रेस्तरां और अतिथि गृह चलाने के वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अपनी भूमि पर झोपड़ियों और भवनों का निर्माण किया था-धाराओं की उप-धारा (1) से।20, यह स्पष्ट है कि संरक्षित क्षेत्रों के मालिक/कब्जा करने वाले किसी भी इमारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं या ऐसे क्षेत्रों का उपयोग किसी अन्य तरीके से नहीं कर सकते हैं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

763 ए.

764 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 2 एस. सी. आर.

खेती की तुलना में, राज्य सरकार की अनुमति के बिना-ये निर्माण, तत्काल मामले में, एस का उल्लंघन थे।20(1) 1961 के अधिनियम का।

हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2002-मैसूर प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1961-हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए.) 2002 के अधिनियम के तहत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की शक्ति-अपीलार्थियोंओं ने तर्क दिया कि एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए., जो हम्पी अधिनियम के तहत स्थापित एक निकाय है, विध्वंस के लिए ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकता था क्योंकि निर्माण की अवैधता 1961 के अधिनियम में निहित थी-आयोजितःराज्य सरकार ने हम्पी की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक विशिष्ट कानून बनाया, अर्थात हम्पी अधिनियम-हम्मा का गठन एस के तहत किया गया था।3 1961 के अधिनियम और हम्पी अधिनियम दोनों को अलग-अलग आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है-वे दोनों एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो इस तरह के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करे और इसे बाधित न करे-तत्काल मामले में, जब से यह स्थापित हो गया है कि अपीलार्थियों द्वारा बनाए गए ढांचे 1961 के अधिनियम का उल्लंघन कर रहे थे, 1961 के अधिनियम और हम्पी अधिनियम के अंतर्निहित सामान्य धागे को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि जब हम्पी अधिनियम लागू हुआ तो ऐसी अवैधता समाप्त हो गई थी-इस प्रकार, हम्पी अधिनियम था, और अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए विकास के खिलाफ आगे बढ़ने का हकदार है, जिसे पूर्व कानून यानी 1961 के अधिनियम के तहत अवैध घोषित किया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा:**1.** री:पहला अंक:

एफ.

क्या अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया निर्माण **1988** की अधिसूचना के आलोक में **1961** के अधिनियम के तहत वैध था**?**तत्काल मामले में, मैसूर प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, **1961** की धारा **19 (3)** के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने **1988** की अधिसूचना जारी कर अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया।इस अनुसूची के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि "विरूपपुरा गद्दी" को कॉलम **5** में एक आच्छादित क्षेत्र के रूप में इंगित किया गया था।इसके अलावा, इस अनुसूची के साथ संलग्न मानचित्र 'ए' से यह भी स्पष्ट होता है कि ए

जी.

एच.

765

सक्कुबाई बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

विरूपपुरा गद्दी का पूरा गाँव संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर शामिल था।वास्तव में, जिन भूमि पर अपीलार्थियों अपने भोजनालयों और अतिथि गृहों को ले जा रहे हैं, उनकी विशिष्ट सर्वेक्षण संख्या का भी इस मानचित्र में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि **1988** की अधिसूचना स्पष्ट रूप से पूरे गाँव विरूपपुरा गद्दी को एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में इंगित करती है।**[**पैरा **13] [776-**डी**-**एफ**]**

बी.

2. इस न्यायालय की राय में, **1961** का अधिनियम संरक्षित स्मारकों **(**धारा **3** से **18)** और संरक्षित क्षेत्रों **(**धारा **19** के बाद**)** के लिए दो अलग**-**अलग श्रेणियां बनाता है।जबकि पहला "प्राचीन स्मारकों" से संबंधित है, दूसरा "पुरातात्विक स्थल और अवशेषों" से संबंधित है। **1961** के अधिनियम को बारीकी से पढ़ने पर, इस न्यायालय ने पाया कि धारा **2 (1)** और **2 (3)** के तहत या अन्यथा **1961** के अधिनियम की योजना के तहत परिभाषाओं में कुछ भी नहीं है, जो "पुरातात्विक स्थल और अवशेषों" और "प्राचीन स्मारकों" के अस्तित्व के बीच एक कड़ी का संकेत देता है।यह नहीं कहा जा सकता है कि पुरातात्विक स्थल और अवशेषों की सुरक्षा अनिवार्य रूप से एक स्मारक के अस्तित्व पर निर्भर होनी चाहिए।कुछ क्षेत्रों को स्मारकों के अस्तित्व से स्वतंत्र रूप से संरक्षित किया जा सकता है, अगर यह उचित विश्वास है कि उनमें ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के खंडहर या अवशेष हैं **[**धारा **2 (3)]**।**[**पैरा **14.1] [776-**जी**-**एच**]**

सी.

डी.

ई.

3. भारत में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार एक विशेष निकाय ए. एस. आई. द्वारा की गई टिप्पणियों से, विरूपपुरा गद्दी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में कोई संदेह नहीं है।ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने क्षेत्र की व्यापक भौगोलिक इकाई पर विचार किया था, जिसमें इसके परिदृश्य, प्रागैतिहासिक अवशेष और जल प्रणाली जैसी विशेषताएं शामिल थीं।इस प्रकार, विरूपपुरा गद्दी को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने वाली **1961** के अधिनियम की धारा **19 (3)** के तहत जारी **1988** की अधिसूचना को आधारहीन नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा, **1961** के अधिनियम की धारा **19 (4)** स्पष्ट करती है कि धारा **19 (3)** के तहत जारी अधिसूचना उक्त अधिनियम के तहत संरक्षित क्षेत्र के रूप में विरूपपुरा गद्दी की स्थिति को निर्णायक रूप से स्थापित करती है। **[**पैरा **14.3] [779-**सी**-**ई**]**

एफ.

जी.

4. धारा **20** की उप**-**धारा **(1)** को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि संरक्षित क्षेत्रों के मालिक**/**कब्जाधारक ऐसा नहीं कर सकते हैं।

एच.

ए.

राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भी भवन का निर्माण या खेती के अलावा किसी भी तरह से ऐसे क्षेत्रों का उपयोग करें।यहाँ, चूंकि विरूपपुरा गद्दी वाले पूरे क्षेत्र को **1988** की अधिसूचना के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, इसलिए यह कहा गया है कि अपीलार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि का उपयोग ऐसी अधिसूचना जारी होने के बाद ही खेती के उद्देश्य से किया जा सकता था।हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थियोंओं ने होटल, रेस्तरां और अतिथि गृह चलाने के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अपनी भूमि पर झोपड़ियों और इमारतों का निर्माण किया था।स्पष्ट रूप से तब ये निर्माण **1961** के अधिनियम की धारा **20 (1)** का उल्लंघन थे। **[**पैरा **15** और **16] [780-**बी**-**डी**]**

बी.

सी.

5. रीःदूसरा विषयः

यदि नहीं, तो क्या हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एचडब्ल्यूएचएएमए) को उक्त निर्माण को ध्वस्त करने का अधिकार था?

अपीलार्थियों के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, **2002** विशुद्ध रूप से संभावित प्रकृति का है और एचडब्ल्यूएचएएमए, जिसे इस तरह के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, पूर्व अधिसूचनाओं को लागू नहीं कर सकता है।इस न्यायालय की सुविचारित राय में, **1961** के अधिनियम और हम्पी अधिनियम को अलग, जलरोधक डिब्बों के रूप में नहीं देखा जा सकता है जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।इस तरह की समझ न केवल उनके अंतर्निहित सामान्य उद्देश्य को विफल कर देगी, बल्कि हम्पी अधिनियम के अधिनियमन तक की घटनाओं को भी विफल कर देगी, जो सभी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हम्पी अधिनियम राज्य सरकार द्वारा हम्पी की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संरक्षित करने के प्रयासों की परिणति थी।इसलिए, **1961** के अधिनियम और हम्पी अधिनियम को अलग-थलग नहीं माना जाना चाहिए।चूँकि वे दोनों एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो इस तरह के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, न कि इसे बाधित करे।**[**पैरा **21] [785-**सी-ई**]**

डी.

ई.

एफ.

6. वर्तमान मामले में, चूंकि यह स्थापित किया गया है कि अपीलार्थियों द्वारा बनाए गए ढांचे **1961** के अधिनियम का उल्लंघन कर रहे थे, **1961** के अधिनियम और हम्पी अधिनियम के अंतर्निहित सामान्य सूत्र को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि जब हम्पी अधिनियम लागू हुआ तो ऐसी अवैधता का अस्तित्व समाप्त हो गया।इस प्रकार, **HWHAMA** था, **A**

जी.

एच.

और अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए विकास के खिलाफ आगे बढ़ने का हकदार है, जिसे पूर्व विधान के तहत अवैध बना दिया गया था।**[**पैरा **22] [785-**एफ-जी**]**

7. यह उस पृष्ठभूमि की सराहना करने के लिए भी उपयोगी हो सकता है जिसमें एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. ने अपीलार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ा था।जैसा कि

उल्लेख किया गया है, हम्पी विश्व धरोहर संपत्तियों को **1999** में यूनेस्को द्वारा 'खतरे में' सूची में शामिल किया गया था।हालाँकि, राज्य सरकार और एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. के गंभीर प्रयासों के कारण, इस वर्गीकरण को **2006** में हटा दिया गया था।हालाँकि, विभिन्न स्मारकों और हम्पी के परिदृश्य की अखंडता के लिए खतरा जारी रहा।**[**पैरा **23] [785-**जी**-**एच**;** **786-**ए**]**

बी.

सी.

8. इन घटनाक्रमों के संदर्भ में एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. ने स्थानीय अधिकारियों को अपीलार्थियोंओं को जारी किए गए व्यापार लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं करने का निर्देश दिया था और बाद में अपीलार्थियोंओं द्वारा उठाए गए निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़े।हम्पी अधिनियम की धारा **11** के तहत एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. के लिए परिकल्पित व्यापक कार्यों को देखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि उसके कार्य विधिसम्मत थे, क्योंकि यह अपीलार्थियोंओं द्वारा की जा रही अवैधता पर कार्रवाई करने और आंखें मूंद लेने के लिए प्राधिकरण पर बाध्य था।**[**पैरा **24] [786-**ई**-**जी**]**

डी.

9. किसी भी मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि मास्टर प्लान **2021** और क्षेत्रीय विनियमों के कार्यान्वियन के संबंध में दिनांकित अधिसूचना वर्तमान मामले में धारा **14 (1)** की आवश्यकता को पूरा करती है, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से भूमि उपयोग और विकास के निषिद्ध प्रकारों के बारे में प्रतिबंधों को निर्दिष्ट करते हैं।इस प्रकार, अपीलार्थियों विरूपपुरा गद्दी के विनियमन के अभाव का उपयोग अपनी भूमि पर अवैध निर्माण को उचित ठहराने के लिए आधार के रूप में नहीं कर सकते हैं।**[**पैरा **25.2] [788-**बी**-**सी**]**

ई.

एफ.

10. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, यह न्यायालय निष्कर्ष निकालता है कि विरूपपुरा गद्दी में होटल, रेस्तरां या अतिथि गृहों का व्यवसाय करने के लिए अपीलार्थियोंओं द्वारा कमरों, छप्पर वाली झोपड़ियों, अस्थायी संरचनाओं और भवनों का निर्माण **1961** के अधिनियम का उल्लंघन था। इसके अलावा, यह माना जाता है कि एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. को इस तरह के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का अधिकार था।इस प्रकार, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित अंतिम निर्णय और दिनांक **27.04.2015** के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।**[**पैरा **26] [788-**सी**-**ई**]**

जी.

एच.

ए.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 1443-1456।

बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 27.04.2015 के निर्णय और आदेश से, 2011 के डब्ल्यू. पी. संख्या 60278,60279,60280,60304,60305,60306,60307,60309,60310,60311,60312,60313,60314,60315 में

बी.

के साथ

2020 की सिविल अपील संख्या 1457 और 1459।

बसव प्रभु पाटिल, शेखर नाफडे, एस. गुरु कृष्ण कुमार, मल्लिकार्जुन एस. माई लार, पी. एस. नरसिम्हा, देवदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्तागण , आनंद संजय एम. नुली, चिनमय देशपांडे, गीत आहूजा, के. मल्ला राव, धर्म सिंह, सूरज कौशिक, मेसर्स नुली और नुली, राजेश महाले, वी. दत्तर, सुश्री एस. लक्ष्मी अय्यर, सुश्री ऐश्वर्या दास, अशोक बन्निदिन्नी, श्रीमती एस. उषा रेड्डी, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, सुश्री कोमल मुंधरा, सौरभ अग्रवाल, सुश्री सिंधूरा वीएनएल, टी. वी. रत्नम, एम. सौरी देव, एच. चंद्र शेखर, राम शंकर, सुश्री रेखा चंद्र शेखर, करीं वेंकट रेड्डी, वी. एन. रघुपति, आदित्य भट, मो. अपजल अंसारी, अली असगर रहीम, मनेन्द्र पाल गुप्ता, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

सी.

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

ई.

2. तत्काल अपील 2011 के डब्ल्यू. पी. संख्या 60278,60279,60280,60304-60315 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 27.04.2015 से उत्पन्न होती है।विवादित आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने

कर्नाटक के कोप्पल जिले के विरूपपुरा गद्दी में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा संचालित रेस्तरां और अतिथि गृहों को ध्वस्त करने से रोकने के लिए प्रतिवादी-प्राधिकरणों को निर्देश देने की मांग करने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

एफ.

3. इस अपील की पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः

3.1 पूर्ववर्ती मैसूर राज्य में प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मैसूर प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1961 (इसके बाद '1961 अधिनियम') लागू किया गया था।इस कानून के तहत, राज्य सरकार को कुछ प्राचीन स्मारकों को 'संरक्षित स्मारक' और कुछ पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों को 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित करने की शक्ति दी गई थी।तदनुसार, 1961 के अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने एक (प्रारंभिक) अधिसूचना ए जारी की।

जी.

एच.

769

सक्कुबाई बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.] ए.

कुछ पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों को अनुसूची में 'संरक्षित क्षेत्रों' के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए 19.05.1982 पर।इसके बाद, 1961 के अधिनियम की धारा 19 (3) के तहत एक (अंतिम) अधिसूचना जारी की गई, जिसमें विरूपपुरा गद्दी सहित दस गांवों को 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित किया गया (इसके बाद '1988 की अधिसूचना')।

3.2 यह अपीलार्थियों का मामला है कि वे हम्पी विश्व धरोहर स्थल के पश्चिम में स्थित तुंगभद्रा नदी द्वारा बनाए गए अंडाकार द्वीप विरूपपुरा गद्दी में भूमि के मालिक हैं।अपीलार्थियोंओं का दावा है कि 1990-2000 की अवधि के दौरान, विरापुपुरा गद्दी जाने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, उन्होंने पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत से होटल/रेस्तरां लाइसेंस प्राप्त किए।कुछ उदाहरणों में, उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से भूमि उपयोग को कृषि से गैर-कृषि में बदलने के लिए मोड़ आदेश भी प्राप्त किए, ताकि वे अपने परिसर में होटल, रेस्तरां और अतिथि गृह चला सकें।3.3 हालाँकि, हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'हम्पी अधिनियम') की शुरुआत पर, इसके तहत गठित प्राधिकरण, हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (इसके बाद 'हम्पी अधिनियम'), प्रत्यर्थी संख्या 4 ने पंचायतों और स्थानीय अधिकारियों को किसी भी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने और विरूपपुरा गद्दी के भीतर वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया।बाद

में, हम्पी अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. ने अपीलार्थियों को उनके द्वारा निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए।उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए, अपीलार्थियोंओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. को इस तरह के विध्वंस को रोकने के निर्देश की समान राहत की मांग की गई।

बी.

सी.

डी.

ई.

3.4 दिनांक 27.04.2015 के विवादित फैसले के माध्यम से, कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने इन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।उच्च न्यायालय ने पाया कि 1988 की अधिसूचना में पूरे गांव विरूपपुरा गद्दी को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था।नतीजतन, 1961 के अधिनियम की धारा 20 (1) लागू हो गई, जिससे वहां की भूमि केवल खेती के उद्देश्यों के लिए उपयोग करने योग्य हो गई, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अनुमोदित न हो।इस प्रकार, यह देखते हुए कि रिट याचिकाकर्ताओं ने विरूपपुरा गद्दी में होटल, रेस्तरां या अतिथि गृहों का व्यवसाय करने के लिए कमरों, छप्पर वाली झोपड़ियों, अस्थायी संरचनाओं और इमारतों का निर्माण किया था, यह माना गया कि इस तरह का निर्माण 1961 के अधिनियम का उल्लंघन था। यह भी देखा गया कि पंचायतों के पास भवन योजनाओं को मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि इस तरह की शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के पास थी

एफ.

जी.

एच.

1961 के अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत। इसके अलावा, यह ध्यान दिया गया कि विरूपपुरा गद्दी हम्पी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट विरासत क्षेत्र के 'मुख्य क्षेत्र' में आता है, और इसलिए यह एचडब्ल्यूएचएएमए के अधिकार के अधीन था। इसलिए, 1988 की अधिसूचना के तहत निर्माण की अवैधता के आलोक में, एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. अपीलार्थियों द्वारा बनाए

गए ढांचे को ध्वस्त कर सकता है।यह इस सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ है कि अपीलार्थियों इस न्यायालय के समक्ष अपील में आए हैं।

बी.

4. पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना।

5. कुछ अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर नाफडे ने तर्क दिया कि पूरे गांव विरूपपुरा गद्दी को 1961 के अधिनियम की धारा 19 के तहत 'संरक्षित क्षेत्र' के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रावधान का दायरा पुरातात्विक स्थल और अवशेषों तक सीमित है, और यह पूरे गांव (गांवों) को संरक्षित क्षेत्र (क्षेत्रों) के रूप में घोषित करने पर विचार करता है।1961 के अधिनियम की धारा 2 (1) और 2 (3) के तहत क्रमशः "प्राचीन स्मारक" और "पुरातात्विक स्थल और अवशेष" शब्दों की परिभाषाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों शब्दों को एक-दूसरे के साथ पढ़ा जाना चाहिए, ताकि "पुरातात्विक स्थल और अवशेष" की अवधारणा को "प्राचीन स्मारकों" के अस्तित्व से अलग नहीं किया जा सके।इसके आलोक में, यह कहते हुए कि विरूपपुरा गद्दी में कोई स्मारक नहीं हैं, उन्होंने तर्क दिया कि धारा 19 के तहत इसे 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित करने के लिए कोई "पुरातात्विक अवशेष" भी नहीं हो सकते हैं।इस प्रकार, 1988 की अधिसूचना से विचाराधीन निर्माण प्रभावित नहीं हुए।

सी.

डी.

ई.

किसी भी मामले में, भले ही पूरे गांव को 1988 की अधिसूचना के तहत 'संरक्षित क्षेत्र' माना जाता था, उन्होंने तर्क दिया कि एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. के पास दो कारणों से अपीलार्थियोंओं द्वारा उठाए गए ढांचे को ध्वस्त करने का कोई अधिकार नहीं था-पहला, एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. हम्पी अधिनियम के तहत स्थापित एक प्राधिकरण था, जो एक कानून है जो 1961 के अधिनियम से स्वतंत्र है। इस प्रकार, भले ही भूमि का उपयोग गैर-कृषि योग्य उद्देश्य के लिए किए जाने के कारण 1961 के अधिनियम की धारा 20 (1) के निर्माण में गड़बड़ी हुई हो, धारा 20 (2), जो उपायुक्त को ऐसे निर्माण को हटाने का आदेश देने की शक्ति देती है, का सहारा लिया जाना चाहिए था।1961 के अधिनियम के तहत परिकल्पित विशेष प्राधिकरण, यानी उपायुक्त द्वारा इस तरह की कार्रवाई के अभाव में, यह तर्क दिया गया था कि एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. विध्वंस के साथ आगे नहीं बढ़ सकता था।दूसरा, यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि निर्माण हम्पी अधिनियम के लागू होने से पहले अपीलार्थियों द्वारा किया गया था, इसलिए एचडब्ल्यूएचएएमए उनके संबंध में कार्रवाई नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका ए

एफ.

जी.

एच.

771

सक्कुबाई बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.] ए.

धारा 14 के तहत विरासत क्षेत्रों में विकास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रकृति में संभावित है। किसी भी मामले में, ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल धारा 14 (1) के तहत एक अधिसूचना जारी करने पर किया जा सकता था, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया था।इस प्रकार, अपीलार्थियोंओं ने प्रस्तुत किया कि उनके व्यवसाय स्थानीय निकायों से प्रासंगिक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कानूनी रूप से चलाए जा रहे थे, और विचाराधीन निर्माण को एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. द्वारा गलत तरीके से ध्वस्त किया जा रहा था।

बी.

6. इन दलीलों का समर्थन करते हुए, अन्य अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकीलों, श्री बसव प्रभु एस. पाटिल और श्री गुरु कृष्ण कुमार ने 1988 की अधिसूचना को चुनौती देने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित विद्वान , जो वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।इसके आलोक में, उन्होंने प्रार्थना की कि उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने से पहले अपीलार्थियों की इमारतों को ध्वस्त नहीं किया जाए।गुण-दोष पर, यह तर्क दिया गया कि विवादित आदेश बिना किसी कारण के था और अप्रमाणित धारणाओं पर आगे बढ़ा, विशेष रूप से स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिए गए धर्मांतरण आदेशों की अवैधता पर निष्कर्षों के संबंध में।

सी.

डी.

7. इसके विपरीत, एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. (प्रतिवादी संख्या 4) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. नरसिम्हा ने तर्क दिया कि विरूपपुरा गद्दी का पूरा गाँव 1988 की अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा घोषित 'संरक्षित क्षेत्र' के अंतर्गत आता है।इसकी पुष्टि करने के लिए, उन्होंने हमें इस अधिसूचना के लिए अनुसूची के कॉलम 5 और उससे संलग्न मानचित्र 'ए' का उल्लेख किया, जो दोनों यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट करते हैं कि विरूपपुरा गद्दी का पूरा गाँव संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर शामिल है।

ई.

इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1961 के अधिनियम की योजना ऐसी है कि 'संरक्षित क्षेत्र' 'संरक्षित स्मारकों' से अलग एक श्रेणी का गठन करते हैं।इसलिए, कुछ क्षेत्रों को स्मारकों के

अस्तित्व से स्वतंत्र रूप से संरक्षित किया जा सकता है, अगर यह उचित विश्वास है कि उनमें ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के खंडहर या अवशेष हैं।इसके आलोक में, उन्होंने विरूपपुरा गद्दी के पुरातात्विक महत्व को दर्शाने वाली सामग्रियों पर ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि 1988 की अधिसूचना को पूरे गांव पर उचित रूप से लागू किया गया था।इसके आधार पर, उन्होंने तर्क दिया कि क्षेत्र की भूमि का उपयोग 1961 के अधिनियम की धारा 20 (1) के परंतुक के अनुसार केवल खेती के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। चूंकि अपीलार्थियों वहाँ वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, इसलिए उनके द्वारा खड़ी की गई संरचनाओं को 1961 के अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए तर्क दिया गया।

एफ.

जी.

एच.

जहाँ तक ऐसे निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश देने के लिए एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. के अधिकार क्षेत्र का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि भले ही एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. बाद के कानून के तहत एक प्राधिकरण है, लेकिन 1961 के अधिनियम और हम्पी अधिनियम के शासन को सख्ती से अलग-अलग विभागों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।जिस संदर्भ में हम्पी अधिनियम पेश किया गया था, उस पर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि इसे 1961 के अधिनियम से अलग होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे आगे बढ़ाने के लिए देखा जाना चाहिए।इसकी पुष्टि करने के लिए, उन्होंने संकेत दिया कि हम्पी अधिनियम 1961 के अधिनियम के तहत जारी 1988 की अधिसूचना को प्रभावी ढंग से शामिल करता है, जिसके तहत अधिसूचना के तहत घोषित संरक्षित क्षेत्र को 'मुख्य क्षेत्र क्षेत्र' के रूप में दर्शाया गया है।इसके अलावा, उन्होंने मुख्य क्षेत्र क्षेत्रों पर लागू वर्तमान प्रतिबंधों और प्रतिबंधों के साथ-साथ मास्टर प्लान 2021 के तहत बनाए गए क्षेत्रीय विनियमों की ओर इशारा करते हुए तर्क दिया कि हम्पी अधिनियम के तहत विरूपपुरा गद्दी पर प्रतिबंध 1988 की अधिसूचना के तहत क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ समाप्त हो गए हैं।इसके आलोक में, यह तर्क दिया गया कि दोनों कानूनों के तहत शासनों को सिलो के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और एचडब्ल्यूएचएएमए के पास 1961 के अधिनियम के तहत जारी 1988 की अधिसूचना को लागू करने का अधिकार था।

बी.

सी.

डी.

अंत में, हम्पी अधिनियम की धारा 14 के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह केवल एक व्यापक प्रावधान है जो विरासत क्षेत्र में विकास को नियंत्रित करने के लिए एक और अधिसूचना जारी करने की अनुमति देता है।दूसरे शब्दों में, धारा 14 (1) के तहत अधिसूचना की कमी उसी उद्देश्य के लिए पूर्व अधिसूचना को एचडब्ल्यूएचएएमए द्वारा अर्थहीन या अप्रवर्तनीय नहीं बनाती है। वास्तव में, हम्पी अधिनियम की धारा 11 के तहत एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. के लिए निर्दिष्ट कार्यों को देखते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि प्राधिकरण विरासत क्षेत्र के भीतर संपत्ति की रक्षा करने के अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में सही था।

ई.

एफ.

8. श्री नरसिम्हा द्वारा उठाए गए तर्कों को कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देवदत्त कामत, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपनाया गया था।

9. अभिलेख पर सामग्री को देखने और पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में, इस अपील में हमारे विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैं -

जी.

(i) क्या अपीलार्थियोंओं द्वारा उठाया गया निर्माण 1988 की अधिसूचना के आलोक में 1961 के अधिनियम के तहत वैध था?

एच.

773

सक्कुबाई बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.] ए.

ए.

((ख) यदि नहीं, तो क्या एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. को उक्त निर्माणों को ध्वस्त करने का अधिकार था?

10. इन मुद्दों पर विचार करने से पहले, हम्पी अधिनियम और 1988 की अधिसूचना को लंबित चुनौती के आलोक में तत्काल अपील की सुनवाई के संबंध में अपीलार्थियोंओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करना उचित होगा।

बी.

10.1 कहा जाता है कि हम्पी अधिनियम उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है। अंतर्निहित एसएलपी में दायर 2017 की आई. ए. संख्या 58525 के माध्यम से, अपीलार्थियोंओं ने एसएलपी में संशोधन करने की अनुमति मांगी और यह घोषणा करने की मांग की कि 1988 की अधिसूचना प्राचीन स्मारक और ऐतिहासिक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958,1961 अधिनियम के साथ-साथ हम्पी अधिनियम के प्रावधानों से परे है। उक्त आवेदन का निपटारा करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

सी.

“यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की रिट याचिका संख्या 65940-65949 के रूप में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हम्पी विश्व धरोहर प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2002 मनमाना, अवैध, अधिकार से परे और असंवैधानिक है जैसा कि ऊपर कहा गया है। विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों का टकराव है।, कर्नाटक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1961, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और हम्पी विश्व धरोहर प्राधिकरण प्रबंधन अधिनियम 2002 और मास्टर प्लान 2012 भी।इस प्रकार, रिट याचिका के निपटारे तक हम्पी विश्व धरोहर प्राधिकरण प्रबंधन अधिनियम, 2002 और मास्टर प्लान 2021 के संचालन पर रोक लगाना आवश्यक है।यदि अधिनियम पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो कई मुकदमे होंगे।

डी.

ई.

एफ.

चूंकि मामला अभी भी कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए हमें एसएलपी के संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति देना उचित नहीं लगता है। इसे इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।

हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता उक्त अधिसूचना को चुनौती देना चाहते हैं, तो वे या तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिका में संशोधन करके या कानून के अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई याचिका दायर करके ऐसा कर सकते हैं।”

जी.

10.2 उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि हालांकि हम्पी अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका वर्ष 2011 में दायर की गई थी, लेकिन इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है

एच.

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा।चाहे जो भी हो, अपीलार्थियोंओं द्वारा 1988 की अधिसूचना या हम्पी अधिनियम के संचालन पर रोक लगाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है।उक्त अधिसूचना या हम्पी अधिनियम के प्रवर्तन पर रोक लगाने वाले ऐसे किसी भी अंतरिम आदेश के अभाव में, उच्च न्यायालय द्वारा 2011 के डब्ल्यू. पी. संख्या 65940-65949 के निपटारे तक तत्काल अपीलों की सुनवाई को स्थगित करने के लिए बहस करने के लिए अपीलार्थियोंओं के लिए इसका उपयोग करने का अधिकार नहीं है।तदनुसार, हम उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं के निपटारे तक मामले को स्थगित करने के लिए अपीलार्थियोंओं द्वारा की गई प्रार्थना को अस्वीकार करते हैं।

बी.

11. इसके आलोक में, अब हम तत्काल अपीलों में अपने विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

सी.

रीःपहला अंक

12. पहला मुद्दा 1961 के अधिनियम के तहत अपीलार्थियों द्वारा किए गए विकास की वैधता से संबंधित है। इस संदर्भ में, अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उपयोगी होगाः

डी.

" खंड 2.परिभाषाएँ।—

(1) "प्राचीन स्मारक "से कोई भी संरचना, निर्माण या स्मारक, या कोई ट्यूमलस या अंत्येष्टि का स्थान, या कोई गुफा, चट्टान-मूर्तिकला, शिलालेख या मोनोलिथ अभिप्रेत है जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से अस्तित्व में है, और इसमें शामिल हैं -

ई.

((i) किसी प्राचीन स्मारक के अवशेष, (ii) किसी प्राचीन स्मारक का स्थल,

((ग) किसी प्राचीन स्मारक के स्थल से सटे भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे स्मारक में बाड़ लगाने या ढकने या अन्यथा संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो, और

एफ.

((iv) किसी प्राचीन स्मारक तक पहुँचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

लेकिन इसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक शामिल नहीं होंगे।

जी.

(3) "पुरातात्विक स्थल और अवशेष "से कोई भी क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के खंडहर या अवशेष हैं जो कम से कम एक सौ वर्षों से अस्तित्व में हैं, और इसमें शामिल हैं -

एच.

775

सक्कुबाई बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.] ए.

(i) क्षेत्र से सटे भूमि का ऐसा हिस्सा जो बाड़ लगाने या उसे ढकने या अन्यथा संरक्षित करने के लिए आवश्यक हो, और (ii) क्षेत्र तक पहुंच के साधन और सुविधाजनक निरीक्षण;

x x x

बी.

(9) ""संरक्षित क्षेत्र" से कोई भी पुरातात्विक स्थल और अवशेष अभिप्रेत हैं जिन्हें इस अधिनियम के तहत संरक्षित घोषित किया गया है;

x x x

भाग **4:**प्राचीन स्मारकों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की सरकार की शक्ति।—

सी.

(1) जहां सरकार की राय है कि किसी भी प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया जाना चाहिए, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित करने के अपने इरादे की दो महीने की सूचना दे सकती है और ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति स्मारक के पास एक विशिष्ट स्थान पर चिपकाई जाएगी।

डी.

(2) ऐसे किसी भी प्राचीन स्मारक में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना जारी होने के दो महीने के भीतर स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित करने पर आपत्ति कर सकता है।

ई.

(3) दो महीने की उक्त अवधि की समाप्ति पर, सरकार, उसे प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राचीन स्मारक को एक संरक्षित स्मारक घोषित कर सकती है।

(4) उप-धारा (3) के तहत प्रकाशित अधिसूचना, जब तक और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है, इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण होगा कि जिस प्राचीन स्मारक से यह संबंधित है, वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक संरक्षित स्मारक है।

एफ.

x x x

धारा **19:**पुरातात्विक स्थल और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की सरकार की शक्ति। —

जी.

(1) जहां सरकार की राय है कि किसी भी पुरातात्विक स्थल और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे पुरातात्विक स्थल को घोषित करने के अपने इरादे के बारे में दो महीने की सूचना दे सकती है।

एच.

एक संरक्षित क्षेत्र, और ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति स्थल और अवशेषों के पास एक विशिष्ट स्थान पर चिपकाई जाएगी।

(2) ऐसे किसी भी पुरातात्विक स्थल और अवशेष में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना जारी होने के दो महीने के भीतर, पुरातात्विक स्थल की घोषणा पर आपत्ति कर सकता है और संरक्षित क्षेत्र बना रहेगा।

बी.

(3) दो महीने की उक्त अवधि की समाप्ति पर, सरकार, अपने द्वारा प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पुरातात्विक स्थल घोषित कर सकती है और इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

सी.

(4) उप-धारा (3) के तहत प्रकाशित अधिसूचना, जब तक और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है, इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण होगा कि पुरातात्विक स्थल और अवशेष जिससे यह संबंधित है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है।

13. तत्काल मामले में, 1961 के अधिनियम की धारा 19 (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने 1988 की अधिसूचना जारी कर अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया।इस अनुसूची के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि "विरूपपुरा गद्दी" को कॉलम 5 में एक आच्छादित क्षेत्र के रूप में इंगित किया गया था।इसके अलावा, इस अनुसूची के साथ संलग्न मानचित्र 'ए' से यह भी स्पष्ट होता है कि विरूपपुरा गद्दी का पूरा गाँव संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर शामिल था।वास्तव में, जिन भूमि पर अपीलार्थियों अपने भोजनालयों और अतिथि गृहों को ले जा रहे हैं, उनकी विशिष्ट सर्वेक्षण संख्या का भी इस मानचित्र में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1988 की अधिसूचना स्पष्ट रूप से पूरे गाँव विरूपपुरा गद्दी को एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में इंगित करती है।

डी.

ई.

एफ.

14. इस बारे में कि क्या 1988 की अधिसूचना द्वारा पूरे गांव को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, हम अपीलार्थियों के तर्क में योग्यता नहीं पाते हैं कि 1961 के अधिनियम की धारा 19 के तहत एक अधिसूचना केवल पुरातात्विक स्थल और अवशेषों के संरक्षण पर विचार करती है जो स्मारकों के अस्तित्व से जुड़े हैं।

जी.

14.1 हमारी राय में, 1961 का अधिनियम संरक्षित स्मारकों (धारा 3 से 18 देखें) और संरक्षित क्षेत्रों (धारा 19 देखें) के लिए दो अलग-अलग श्रेणियां बनाता है।जबकि पहला "प्राचीन स्मारकों" से संबंधित है, दूसरा "पुरातात्विक स्थल और अवशेषों" से संबंधित है।1961 के अधिनियम को बारीकी से पढ़ने पर हम पाते हैं कि धारा 2 (1) और 2 (3) के तहत या अन्यथा योजना ए के तहत परिभाषाओं में कुछ भी नहीं है।

एच.

1961 के अधिनियम, जो "पुरातात्विक स्थल और अवशेषों" और "प्राचीन स्मारकों" के अस्तित्व के बीच एक कड़ी का संकेत देता है।यह नहीं कहा जा सकता है कि पुरातात्विक स्थल और अवशेषों की सुरक्षा अनिवार्य रूप से एक स्मारक के अस्तित्व पर निर्भर होनी चाहिए।कुछ क्षेत्रों को स्मारकों के अस्तित्व से स्वतंत्र रूप से संरक्षित किया जा सकता है, अगर यह उचित विश्वास है कि उनमें ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के खंडहर या अवशेष हैं [धारा 2 (3) ऊपर देखें]।14.2 इसके आलोक में, जब हम विशेष रूप से विरूपपुरा गद्दी गाँव को देखते हैं, तो इसके पुरातात्विक महत्व को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रतीत होती है।भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए. एस. आई.), प्रत्यर्थी संख्या 5 ने वास्तव में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपने आपत्तियों के बयान में विरूपपुरा गद्दी के पुरातात्विक महत्व पर प्रकाश डाला हैः

बी.

सी.

“2. विरूपपुर गुड्डा का स्थान और इसका महत्व

x x x

डी.

2.1 विरूपपुरा गुड्डा एक अंडाकार द्वीप है जो हम्पी विश्व धरोहर स्थल की उत्तरी परिधि की ओर बहने वाली तुंगभद्रा नदी से बना है।पूर्व-पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी में कई छोटे द्वीप हैं जिनमें से उपरोक्त सबसे बड़ा द्वीप है जिसका माप लगभग 2,600 मीटर पूर्व-पश्चिम और 1,300 मीटर उत्तर-दक्षिण है।अपनी पूर्व-पश्चिम लंबाई में केंद्र में स्थित इस द्वीप की विशेषता ग्रेनाइट की लहरदार निचली पहाड़ी है और इसकी उच्चतम ऊंचाई 1,570 फीट है।दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में खेती की जाती है।

ई.

एफ.

x x x

3. विरूपपुरा गड्डा के पास महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष हैं।

1. श्री विरूपाक्ष मंदिर और हम्पी खंडहरःयह है।

विनियमित क्षेत्र में और 200 मीटर; विरुपपुरगड्डा के दक्षिण पूर्वी छोर से लेकर विरूपाक्ष मंदिर परिसर के उत्तर में किले की दीवार तक।

जी.

2. कोदंडराम मंदिरःयह विनियमित क्षेत्र में है और विरूपपुरगड्डा के दक्षिण पूर्वी छोर से मंदिर तक राज्य से संरक्षित है।

3. वराह मंदिरःयह केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक है और विरूपपुरगड्डा के दक्षिण पूर्वी छोर से मंदिर तक है।

4. कोटि लिंगःयह एक राज्य संरक्षित स्मारक है और विरूपपुरगड्डा के दक्षिणी छोर से मूल चट्टान की संरचना तक जहां कोटिलिंगा स्थित है, एक राज्य संरक्षित स्मारक है।

बी.

5. पश्चिमी किले की दीवार-विट्ठल मंदिर परिसरःयह

यह केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक है और विनियमित क्षेत्र से द्वीप तक 229.40 मीटर है।

6. पुरंदर मंडपःयह राज्य संरक्षित स्मारक है और विनियमित क्षेत्र से द्वीप तक **150.59** मीटर है।

सी.

7. प्राचीन मार्गःयह लगभग **121** मीटर लंबा राज्य संरक्षित स्मारक है और यह एक विनियमित क्षेत्र है।

x x x

डी.

इस स्थान का पूर्व और प्रारंभिक इतिहास-विरूपपुरा गड्डा

4. विरूपपुरा गुड्डु की पहाड़ी को पारंपरिक रूप से रामायण की प्रसिद्धि के किष्किंडा के रूप में पहचाना जाता है और श्री रामचंद्र के पवित्र स्थल के रूप में भावना का लगाव है।

4.1 ग्रेनाइट पत्थरों के ढेर कई प्राकृतिक चट्टान आश्रयों का घर हैं, जो प्रोटो ऐतिहासिक व्यक्ति का सुरक्षित निवास साबित हुए हैं, जिन्होंने एक भटकने वाले के रूप में इन आश्रयों का उपयोग अपने द्वारा बनाए गए अस्थायी आश्रयों की झोपड़ियों में बसने से पहले किया था या उस स्थान की भू-आकृति विज्ञान आज भी एक प्रागैतिहासिक वातावरण में सांस लेती है।ऐसा प्राकृतिक आवास के कारण है, घुमावदार नदी तुंगभद्रा छोटी खुली घास की भूमि प्रदान करती है जिसमें झाड़ियों वाले जंगल हैं जो निर्वाह के लिए खेल को आश्रय देते हैं और प्रतिकूल जलवायु के दौरान रहने के लिए झोपड़ियों का निर्माण करते हैं।विशाल चट्टान आश्रय शायद बरसात के

मौसम में आराम करने की जगह प्रदान करते थे।विरूपपुरा गुड्डा में डाइक गठन के झुंड की पहाड़ियों की ढलान ने पूर्व ऐतिहासिक व्यक्ति के लिए आवश्यक चमक प्रदान की।मानव निर्मित और प्राकृतिक परिवेश के इस उल्लेखनीय एकीकरण, जो कला और वास्तुकला, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, रक्षा संगठन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे असंख्य पहलुओं में जीवंत है, ने मिलकर इस भव्य महानगर की स्थापना को सक्षम बनाया।

ई.

एफ.

जी.

एच.

x x x ए

779

सक्कुबाई बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.] ए.

8. एकीकृत प्रबंधन योजना में प्रावधान

1. यह द्वीप एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो उत्तर से यानी विरूपाक्ष मंदिर और तुंगभद्रा नदी तट से एक प्रवेश बिंदु बनाता है।उत्तरी बिंदु से द्वीप तक जाने वाले मुख्य भूमि से प्राचीन पहुँच मार्ग को तब देखा जा सकता है जब नदी में जल स्तर कम होता है और गर्मियों के महीनों के दौरान, वही मार्ग उपयोग में होता है।अन्यथा जब नदी पानी से भरी होती है, तो उसी मार्ग का उपयोग नाविकों द्वारा लोगों को द्वीप तक ले जाने के लिए किया जाता है।इसलिए, यह स्थल महान पुरातात्विक महत्व का है।

बी.

सी.

14.3 भारत में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार एक विशेष निकाय ए. एस. आई. की इन टिप्पणियों से विरूपपुरा गद्दी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में कोई संदेह नहीं है।ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने क्षेत्र की व्यापक भौगोलिक इकाई पर विचार किया था, जिसमें इसके परिदृश्य, प्रागैतिहासिक अवशेष और जल प्रणाली जैसी विशेषताएं शामिल थीं।इस प्रकार, विरूपपुरा गद्दी को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने वाली 1961 के अधिनियम की धारा 19 (3) के तहत जारी 1988 की अधिसूचना को आधारहीन नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा, 1961 के अधिनियम की धारा 19 (4) स्पष्ट करती है कि धारा 19 (3) के तहत जारी अधिसूचना उक्त अधिनियम के तहत संरक्षित क्षेत्र के रूप में विरूपपुरा गद्दी की स्थिति को निर्णायक रूप से स्थापित करती है।

डी.

ई.

15. इसके आलोक में, अब हम 1991-2000 के बीच की अवधि के दौरान अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए निर्माणों पर 1988 की अधिसूचना के प्रभाव पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में, 1961 के अधिनियम की धारा 20 प्रासंगिक हैः

एफ.

" धारा 20:संरक्षित क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों के उपभोग पर प्रतिबंध।—

(1) संरक्षित क्षेत्र के स्वामी या अधिभोगकर्ता सहित कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भी भवन का निर्माण नहीं करेगा या ऐसे क्षेत्र में कोई खनन, उत्खनन, उत्खनन, विस्फोट या समान प्रकृति का कोई संचालन नहीं करेगा, या सरकार की अनुमति के बिना किसी अन्य तरीके से ऐसे क्षेत्र या उसके किसी हिस्से का उपयोग नहीं करेगाःबशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात खेती के उद्देश्यों के लिए ऐसे किसी क्षेत्र या उसके हिस्से के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली नहीं मानी जाएगी, यदि ऐसी खेती में सतह से एक फुट से अधिक मिट्टी की खुदाई शामिल नहीं है।

जी.

एच.

(2) सरकार, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकती है कि किसी संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्मित किसी भी भवन को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर हटा दिया जाएगा और यदि वह व्यक्ति आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो उपायुक्त भवन को हटा सकता है और व्यक्ति इस तरह के हटाने की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

बी.

धारा 20 की उप-धारा (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि संरक्षित क्षेत्रों के मालिक/कब्जाधारक राज्य सरकार की अनुमति के बिना खेती के अलावा किसी भी तरह से किसी भी भवन का निर्माण या ऐसे क्षेत्रों का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

सी.

16. यहाँ, चूंकि विरूपपुरा गद्दी वाले पूरे क्षेत्र को 1988 की अधिसूचना के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, इसलिए यह कहा गया है कि अपीलार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि का उपयोग ऐसी अधिसूचना जारी होने के बाद ही खेती के उद्देश्य से किया जा सकता था।हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थियोंओं ने होटल, रेस्तरां और अतिथि गृह चलाने के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अपनी भूमि पर झोपड़ियों और इमारतों का निर्माण किया था। स्पष्ट रूप से तब, ये निर्माण 1961 के अधिनियम की धारा 20 (1) का उल्लंघन थे।

डी.

17. इसके अलावा, स्थानीय पंचायत से अपीलार्थियोंओं द्वारा प्राप्त अनुमतियाँ/लाइसेंस बिना किसी प्राधिकरण के जारी किए गए थे, क्योंकि 1961 के अधिनियम की धारा 20 (1) राज्य सरकार को संरक्षित क्षेत्रों के गैर-खेती योग्य उपयोग के लिए अनुमतियाँ देने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण बनाती है।अतः पंचायत द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों को अवैध नहीं कहा जा सकता है।

ई.

18. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि पूरे विरूपपुरा गद्दी गांव को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने वाली 1988 की अधिसूचना के आधार पर, धारा 20 (1) के तहत निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध 22.10.1988 से ही लागू हो गए थे।इस प्रकार, अपीलार्थियों द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विरूपपुरा गद्दी में अपनी भूमि पर किया गया निर्माण 1961 के अधिनियम का उल्लंघन था।

एफ.

रीःदूसरा अंक

जी.

19. दूसरा मुद्दा इस बात से संबंधित है कि क्या एचडब्ल्यूएचएएमए इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ सकता था।

20. इस संबंध में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थियोंओं ने तर्क दिया है कि एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए., जो हम्पी अधिनियम के तहत स्थापित एक निकाय है, विध्वंस के लिए ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकता था क्योंकि ए.

एच.

निर्माण (यदि कोई हो) 1961 के अधिनियम में निहित था। इसके मूल में, हम पाते हैं कि यह मुद्दा 1961 के अधिनियम और हम्पी अधिनियम के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित है। इस प्रकार, प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों में जाने से पहले, हम इन कानूनों के अंतर्निहित उद्देश्यों और उन संदर्भों की सराहना करना उचित समझते हैं जिनमें उन्हें अधिनियमित किया गया था।

20.1 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1961 का अधिनियम कर्नाटक में प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेश किया गया था।उसी के अनुसरण में, 1988 की अधिसूचना धारा 19 (3) के तहत जारी की गई थी जिसमें हम्पी के कुछ क्षेत्रों को 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित किया गया था।

बी.

20.2 विशेष रूप से, 1989 में, हम्पी के स्मारकों के समूह को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (इसके बाद 'यूनेस्को') द्वारा घोषित "विश्व धरोहर स्थलों" की सूची में अंकित किया गया था।यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और अन्य बातों के साथ-साथ इसका उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, संरक्षण और संरक्षण को प्रोत्साहित करना है जिसे मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य माना जाता है।उसी के अनुसरण में, यूनेस्को सम्मेलन ने सम्मेलन को अपनाया

सी.

डी.

विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित

1972 में विरासत, 1 ने विश्व धरोहर संपत्तियों के संरक्षण और संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए राज्य दलों के दायित्व पर जोर दिया।

ई.

विशेष रूप से, विश्व धरोहर स्थल के रूप में हम्पी के स्मारकों की मान्यता यूनेस्को द्वारा निर्धारित 10-बिंदु मानदंडों के निम्नलिखित बिंदुओं की पूर्ति पर आधारित थीः

मानदंड **(i)-**मानव रचनात्मकता की एक उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करना।

प्रतिभाःअपनी अनुकरणीय मंदिर वास्तुकला और अपनी शानदार प्राकृतिक सेटिंग के साथ हम्पी के नियोजित और संरक्षित शहर के बीच उल्लेखनीय एकीकरण एक अद्वितीय कलात्मक रचना का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.

मानदंड **(iii)-**एक सांस्कृतिक परंपरा या एक सभ्यता जो जीवित है या जो गायब हो गई है**,** की अनूठी या कम से कम असाधारण गवाही देनाःयह शहर असाधारण है।

जी.

विजयनगर साम्राज्य की लुप्त सभ्यता की गवाही, जो कृष्ण देव राय (1509-1530) के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गई।

1 भारत ने वर्ष 1977 में इस समझौते की पुष्टि की थी।

एच.

ए.

मानदंड **(iv)-**एक प्रकार की इमारत**,** वास्तुकला या तकनीकी समूह या परिदृश्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण होना जो **(**ए**)** मानव में महत्वपूर्ण चरण **(**ओं**)** को दर्शाता है।

इतिहासः यह राजधानी एक प्रकार की संरचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थिति को दर्शाती हैः तालिकोटाक युद्ध (1565 सी. ई.) मे विजयनगर साम्राज्यक विनाश, जाहिमे कतेको जीवित मन्दिर, विस्तृत पवित्र, शाही, नागरिक आ सैन्य संरचना सभक रूपमे भव्य पुरातात्विक अवशेषक सङ्ग-सङ्ग एकर समृद्ध जीवन शैलीक निशान सभ अपन प्राकृतिक परिवेशमे एकीकृत छल।2

बी.

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में हम्पी की मान्यता इसके अपार ऐतिहासिक महत्व का प्रमाण थी।यह हम्पी स्मारकों के संरक्षण और सुरक्षा के प्रयासों में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि इसने भारत के लिए विश्व धरोहर स्थलों के रखरखाव के लिए यूनेस्को द्वारा निर्धारित 40 लाख अमेरिकी डॉलर के वार्षिक विश्व धरोहर कोष तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया।

सी.

डी.

20.3 इस तरह की मान्यता के तुरंत बाद, जैसे-जैसे हम्पी आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी, अनियंत्रित निर्माण, अव्यवस्थित विकास और पर्यटकों के भोजन की आड़ में की जाने वाली अन्य अवैध गतिविधियों के बारे में चिंता जताई जाने लगी।इन घटनाक्रमों के आलोक में, यूनेस्को ने 1999 में हम्पी विश्व धरोहर संपत्तियों को 'खतरे में' के रूप में वर्गीकृत किया।यह वर्गीकरण महत्वपूर्ण था क्योंकि यह क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता था।विशेष रूप से, हम्पी विश्व धरोहर संपत्तियों को 2006 तक वर्गीकृत किया जाना जारी रहा। 20.4 इस तरह के परिवर्तनों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत इसके दायित्वों को देखते हुए, कर्नाटक सरकार ने एक निकाय का निर्माण करना आवश्यक महसूस किया जो हम्पी क्षेत्र में विकास को सुव्यवस्थित करेगा।हालाँकि, जब तक इस तरह के उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट क़ानून लागू नहीं किया गया

था, तब तक एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. का गठन एक सरकारी आदेश दिनांक 21.03.2002 के माध्यम से एक अंतरिम प्राधिकरण के रूप में किया गया था।इस क्रम की प्रस्तावना उल्लेखनीय हैः

ई.

एफ.

" प्रस्तावनाःहम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और भारत सरकार ने हाल ही में

जी.

2 विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले चयन के लिए मानदंड, जो यहां उपलब्ध हैः//डब्ल्यूएचसी।यूनेस्को। org/en/अळवुकोल/; हम्पी में स्मारकों के समूह का विवरण, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, यहां उपलब्ध हैः//डब्ल्यूएचसी।यूनेस्को।ओआरजी/एन/सूची /241.

एच.

783

सक्कुबाई बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.] ए.

ए.

घोषणा की कि हम्पी को एक अंतरराष्ट्रीय गंतव्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र के उचित प्रबंधन और विकास की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में समृद्ध विरासत का संरक्षण और संरक्षण किया जा सके और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्र का विकास किया जा सके।इस प्रकार हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र में सभी गतिविधियों को विनियमित और समन्वित करने की आवश्यकता है ताकि सुविधाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही विरासत का उचित संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र में प्रबंधन और विकास पहलुओं से संबंधित मुद्दों पर विनियमन करने के लिए एक वैधानिक निकाय की आवश्यकता है।सरकार हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के गठन के लिए एक कानून बनाने पर विचार कर रही है।मध्यावधि में, विरासत क्षेत्र के समन्वित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिम निकाय की तत्काल आवश्यकता है।इस प्रकार वैधानिक निकायों के प्रभाव में आने तक हम्पी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है।" 20.5 इसके बाद, राज्य सरकार ने हम्पी की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक विशिष्ट कानून, यानी हम्पी अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम 27.01.2005 से लागू किया गया था, और HWHAMA का गठन इसकी धारा 3 के तहत किया गया था।उस समय तक, ऊपर उल्लिखित सरकारी आदेश दिनांक 21.03.2002 के माध्यम से गठित अंतरिम प्राधिकरण जारी रहा।हम्पी अधिनियम के समग्र उद्देश्य को इसकी प्रस्तावना से प्राप्त किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैः

बी.

सी.

डी.

ई.

“कर्नाटक राज्य में हम्पी की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित करने और हम्पी विश्व धरोहर क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने के लिए हम्पी की सभी पुरातात्विक अवशेषों और प्राकृतिक परिवेश के साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम।

एफ.

जबकि इसके लिए प्रावधान करना समीचीन है -

जी.

(क) हम्पी और उसके आसपास की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक परिवेश का संरक्षण;

(ख) विश्व धरोहर केंद्र के रूप में हम्पी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण;

((ग) क्षेत्र के अनियंत्रित विकास और वाणिज्यिक दोहन को रोकना।

एच.

(घ) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए अनुकूल क्षेत्र का निरंतर विकास, और

(ङ) आनुषंगिक मामलों के लिए।

20.6 हम्पी अधिनियम की प्रस्तावना को बारीकी से पढ़ने से 1961 के अधिनियम और हम्पी अधिनियम के बीच एक अंतर्निहित सामान्य उद्देश्य का पता चलता है-इन कानूनों के तहत संरक्षित संबंधित स्मारकों और क्षेत्रों के संरक्षण का प्रावधान।अंतर यह है कि 1961 के अधिनियम को पूरे कर्नाटक राज्य को शामिल करते हुए एक व्यापक कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था, जबकि हम्पी अधिनियम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को ध्यान में रखते हुए हम्पी के विरासत स्थल पर विशेष ध्यान देने के साथ अधिनियमित किया गया था।

बी.

सी.

20.7 इस तरह के सामान्य उद्देश्य के अलावा, हम्पी अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधान भी 1961 के अधिनियम और हम्पी अधिनियम की कानूनी व्यवस्थाओं के बीच निरंतरता का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, हम्पी अधिनियम अपनी अनुसूची में हम्पी विरासत क्षेत्र का सीमांकन करते हुए 1961 के अधिनियम की धारा 19 (3) के तहत जारी 1988 की अधिसूचना को सीधे शामिल करता है।"हम्पी अधिनियम के तहत विरासत क्षेत्र को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया हैः

डी.

" खंड 2:परिभाषाएँ।- (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

...(l) "विरासत क्षेत्र" का अर्थ है कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और परिधीय क्षेत्रों को शामिल करने वाला पूरा क्षेत्र, लेकिन प्राचीन स्मारक और ऐतिहासिक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का केंद्रीय अधिनियम 24) के तहत संरक्षित क्षेत्र के रूप में संदर्भित क्षेत्र को छोड़कर;

ई.

हम्पी अधिनियम की अनुसूची I के भाग ए, बी और सी क्रमशः हम्पी विरासत क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले मुख्य क्षेत्र क्षेत्र, बफर क्षेत्र और परिधीय क्षेत्र के विस्तार को इंगित करते हैं।भाग ए के तहत, जो मुख्य क्षेत्र क्षेत्र के विस्तार को इंगित करता है, 1988 की अधिसूचना के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का स्पष्ट संदर्भ है।

एफ.

20.8 इसके अलावा, यहां तक कि हम्पी अधिनियम के तहत तैयार मास्टर प्लान 2021 के तहत लागू प्रतिबंध भी 1988 की अधिसूचना के आधार पर लगाए गए प्रतिबंधों के समान हैं, क्योंकि विरूपपुरा गद्दी के किसी भी विकास की अनुमति नहीं है।मास्टर प्लान 2021 10.07.2008 पर लागू हुआ।यह हम्पी स्थानीय योजना क्षेत्र के भीतर शामिल कस्बों और गांवों के लिए विकास योजनाओं के गठन को निर्धारित करता है।

जी.

एच.

ए.

हालांकि इसने विरूपपुरा गद्दी के लिए एक विशिष्ट विकास योजना प्रदान नहीं की, लेकिन यह विशेष नियंत्रण वाले क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विनियम प्रदान करता है, जिसमें नदी द्वीप, टैंक बेड

आदि शामिल हैं।इन क्षेत्रीय विनियमों का विनियम 2 (च), जो विशेष नियंत्रण के ऐसे क्षेत्रों से संबंधित है, यहां प्रासंगिक हैः

“(च) नदी द्वीप, तालाब तल क्षेत्र, चट्टानी बहिर्वाह, पहाड़ी और वन क्षेत्रों जैसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी विकास की अनुमति नहीं है।” इसके आलोक में, यह देखते हुए कि विरूपपुरा गद्दी एक नदी द्वीप है, यह स्पष्ट है कि हम्पी अधिनियम के तहत तैयार किए गए मास्टर प्लान 2021 के अनुसार भी वहां किसी भी विकास की अनुमति नहीं है। जब 1961 के अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत प्रतिबंधों के साथ जोड़ा जाता है, तो यह 1961 के अधिनियम और हम्पी अधिनियम के बीच निरंतरता का भी संकेत देता है।

बी.

सी.

21. पूर्वगामी कारकों को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थियों के इस तर्क में योग्यता नहीं पाते हैं कि हम्पी अधिनियम विशुद्ध रूप से संभावित प्रकृति का है और एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए, जिसे ऐसे अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, पूर्व अधिसूचनाओं को लागू नहीं कर सकता है।हमारी सुविचारित राय में, 1961 के अधिनियम और हम्पी अधिनियम को अलग, जलरोधक डिब्बों के रूप में नहीं देखा जा सकता है जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।इस तरह की समझ न केवल उनके अंतर्निहित सामान्य उद्देश्य को विफल कर देगी, बल्कि हम्पी अधिनियम के अधिनियमन तक की घटनाओं को भी विफल कर देगी, जो सभी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हम्पी अधिनियम राज्य सरकार द्वारा हम्पी की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संरक्षित करने के प्रयासों की परिणति थी।इसलिए, 1961 के अधिनियम और हम्पी अधिनियम को अलग-थलग नहीं माना जाना चाहिए।चूँकि वे दोनों एक समान उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो इस तरह के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, न कि इसे बाधित करे।

डी.

ई.

एफ.

22. वर्तमान मामले में, चूंकि यह स्थापित किया गया है कि अपीलार्थियों द्वारा बनाए गए ढांचे 1961 के अधिनियम का उल्लंघन कर रहे थे, 1961 के अधिनियम और हम्पी अधिनियम के अंतर्निहित सामान्य सूत्र को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि जब हम्पी अधिनियम लागू हुआ तो ऐसी अवैधता का अस्तित्व समाप्त हो गया।इस प्रकार, एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए विकास के खिलाफ आगे बढ़ने का हकदार था और है, जिसे पूर्व विधान के तहत अवैध बना दिया गया था।

जी.

23. यह उस पृष्ठभूमि की सराहना करने के लिए भी उपयोगी हो सकता है जिसमें एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. ने अपीलार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ा था।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हम्पी विश्व धरोहर संपत्तियों को 1999 में यूनेस्को द्वारा 'खतरे में' सूची में शामिल किया गया था।लेकिन गंभीर होने के कारण

एच.

786

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 2 एस सी आर।

राज्य सरकार और एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. के प्रयासों से, इस वर्गीकरण को 2006 में हटा दिया गया था।हालाँकि, विभिन्न स्मारकों और हम्पी के परिदृश्य की अखंडता के लिए खतरा जारी रहा।यह 2009 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 33 वीं बैठक के प्रस्ताव में अच्छी तरह से परिलक्षित होता है, जिसमें विरूपपुरा गद्दी गांव में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का एक विशिष्ट उल्लेख किया गया हैः

बी.

"...विश्व धरोहर समिति,1. XXX

2. XXX

3. XXX

सी.

4. XXX

5. XXX

6. XXX

7. विस्तारित सीमाओं के भीतर अवैध निर्माण और सामाजिक आवास परियोजनाओं जैसे अन्य विकासों पर अपनी चिंता व्यक्त करता है, जिन पर संपत्ति के संभावित विस्तार के लिए विचार किया जा रहा है, विशेष रूप से विरूपपुरा गडा द्वीप और हम्पी गाँवों में, जिनका परिदृश्य की अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।"

डी.

ई.

2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 34 वीं बैठक में भी इसी तरह की चिंता जताई गई थी।

24. इन घटनाक्रमों के संदर्भ में एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. ने स्थानीय अधिकारियों को अपीलार्थियोंओं को जारी किए गए व्यापार लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं करने का निर्देश दिया था और बाद में अपीलार्थियोंओं द्वारा उठाए गए निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़े।हम्पी अधिनियम की धारा 11 के तहत एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. के लिए परिकल्पित व्यापक कार्यों को देखते हुए, हम पाते हैं कि इसके कार्य विधिसम्मत थे, क्योंकि अपीलार्थियोंओं द्वारा की जा रही अवैधता पर कार्रवाई करना और आंखें बंद नहीं करना प्राधिकरण का दायित्व था।

एफ.

जी.

25. अंत में, हम अपीलार्थियों के दावे का विज्ञापन करते हैं कि हम्पी अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत अधिसूचना के अभाव ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एचडब्ल्यूएचएएमए की शक्तियों को बाधित कर दिया।इस संबंध में धारा 14 का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता हैः

“ धारा 14:प्राधिकरण की अनुमति के बिना विकास करने के लिए कोई अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति नहीं।- ए.

एच.

787

सक्कुबाई बनाम कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.] ए.

(1) प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के अलावा, उस समय लागू किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति विरासत क्षेत्र के भीतर उन प्रकार का कोई विकास नहीं करेगा जो प्राधिकरण समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।(2) कोई भी स्थानीय प्राधिकरण विरासत क्षेत्र के भीतर उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी विकास के लिए अनुमति नहीं देगा, जब तक कि प्राधिकरण ने ऐसे विकास के लिए अनुमति नहीं दी है।(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विकास करने की इच्छा रखने वाला कोई भी प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसा विकास करने की अनुमति के लिए प्राधिकरण को लिखित रूप में आवेदन करेगा।

बी.

सी.

(4) प्राधिकरण, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, ऐसी अनुमति लागू करने या देने से इनकार करने के लिए ऐसी शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों के साथ ऐसी अनुमति दे सकता है, जो वह उचित समझे।(5) उप-धारा (4) के तहत प्राधिकरण के निर्णय से व्यथित कोई भी प्राधिकारी या व्यक्ति, निर्णय की तारीख से तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार को ऐसे निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है, जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगाः

डी.

बशर्ते कि, जहां ऐसी अपील प्रस्तुत करने वाला पीड़ित प्राधिकारी केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है, वहां अपील पर निर्णय केंद्र सरकार के परामर्श के बाद राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

ई.

(6) यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकरण उप-धारा (5) में संशोधित उप-धारा (4) के तहत दिए गए निर्णय के विपरीत कुछ भी करता है, तो प्राधिकरण को ऐसे निर्णय के विपरीत किए गए किसी भी विकास को गिराने, ध्वस्त करने या हटाने की शक्ति होगी और संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण से इस तरह के गिराने, ध्वस्त करने या हटाने की लागत की वसूली की जाएगी।"

एफ.

स्पष्ट रूप से, धारा 14 (1) के तहत, एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. को ऐसे प्रकार के विरासत क्षेत्र में विकास करने के लिए एकमात्र प्राधिकरण बनाया गया है जो वह एक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

जी.

25.1 हालाँकि अपीलार्थियोंओं ने तर्क दिया है कि धारा 14 (1) के तहत ऐसी अधिसूचना एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. के लिए धारा 14 (6) के तहत विध्वंस का आदेश देने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक पूर्व शर्त है, हम इस तरह के तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।1961 के अधिनियम और हम्पी अधिनियम की सह-समाप्ति विधायी योजना को देखते हुए, हम पाते हैं कि

एच.

हम्पी अधिनियम एक व्यापक प्रावधान के रूप में कार्य करता है जो हम्पी विरासत क्षेत्र में विकास को नियंत्रित करने के लिए एक और अधिसूचना जारी करने में सक्षम बनाता है।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि धारा 14 (1) के तहत अधिसूचना की कमी उसी उद्देश्य के लिए एक पूर्व अधिसूचना को अप्रवर्तनीय बनाती है, जैसा कि यहाँ 1988 की अधिसूचना के मामले में है।

25.2 किसी भी मामले में, हम पाते हैं कि मास्टर प्लान 2021 और क्षेत्रीय विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांकित अधिसूचना वर्तमान मामले में धारा 14 (1) की आवश्यकता को पूरा करती है, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से भूमि उपयोग और विकास के निषिद्ध प्रकारों के बारे में प्रतिबंधों को निर्दिष्ट करते हैं।इस प्रकार, अपीलार्थियों विरूपपुरा गद्दी के विनियमन के अभाव का उपयोग अपनी भूमि पर अवैध निर्माण को उचित ठहराने के लिए आधार के रूप में नहीं कर सकते हैं।

बी.

सी.

26. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विरूपपुरा गद्दी में होटल, रेस्तरां या अतिथि गृहों का व्यवसाय करने के लिए अपीलार्थियोंओं द्वारा कमरों, छप्पर वाली झोपड़ियों, अस्थायी संरचनाओं और भवनों का निर्माण 1961 के अधिनियम का उल्लंघन था। इसके अलावा, यह माना जाता है कि एच. डब्ल्यू. एच. ए. एम. ए. के पास ऐसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का अधिकार था।इस प्रकार, हमें कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित अंतिम निर्णय और दिनांक 1 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

डी.

27. इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी इस आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर विरूपपुरा गद्दी में अपीलार्थियों द्वारा बनाए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे।इस तरह की टिप्पणियों के साथ, तत्काल अपीलें खारिज हो जाती हैं। तदनुसार आदेश दिया।

ई.

एफ.

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

जी.

एच.